उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या– 112/XXX(4)/2018–02(03)/2017
देहरादूनः दिनांक 15 मार्च, 2018

अधिसूचना संख्या–111/XXX(4)/2018–02(03)/2017, दिनांक मार्च, 2018 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की (सेवा शर्तों) के बारे में (संशोधन) विनियम, 2018" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
9. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड।
12. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित करा कर इसकी 50 प्रतियॉ कार्मिक अनुभाग–04 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव।

NIYAMAWALI DRAFT

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–04
संख्याः 111 /XXX(4)/2018–02(03)/2017
देहरादून, दिनांक 15 मार्च, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 318 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की (सेवा शर्तों) के बारे में विनियम, 2004 में निम्नवत् अग्रेत्तर संशोधन करते हैं :–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की (सेवा शर्तों) के बारे में (संशोधन) विनियम, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की (सेवा शर्तों) के बारे में (संशोधन) विनियम, 2018 है।
(2) यह विनियम दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

विनियम 7 के उपविनियम (1) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की (सेवा शर्तों) के बारे में विनियम, 2004 में विनियम 7 के उपविनियम (1) में (जिसे यहाँ आगे मूल विनियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपविनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
(1) अध्यक्ष को रू0 80,000.00 (रू0 अस्सी हजार मात्र) प्रतिमाह तथा सदस्य को रू0 70,000.00 (रू0 सत्तर हजार मात्र) प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जायेगा।	(1) अध्यक्ष को ₹ 2,25,000.00 (₹ दो लाख पच्चीस हजार मात्र) प्रतिमाह तथा सदस्य को ₹ 1,99,100.00 (₹ एक लाख निन्यानब्बे हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जायेगा।

विनियम 11 के उपविनियम (6) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) का प्रतिस्थापन

3. मूल विनियमावली के विनियम 11 के उपविनियम (6) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपविनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

	स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
	(क) ऐसी पेंशन जिसका वह सेवा के साधारण नियमों के अनुसार हकदार होगा, और	(क) ऐसी पेंशन जिसका वह सेवा के साधारण नियमों के अनुसार हकदार होगा, और
	(ख) इस विनियम के खण्ड (2), खण्ड (3) और खण्ड (7) में उल्लिखित परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खण्ड (7) में उल्लिखित दर पर अतिरिक्त पेंशनः परन्तु किसी भी स्थिति में उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट पेंशन को मिलाकर खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन रू0 40,000.00 (रू0 चालीस हजार) प्रतिमास एवं रू0 4,80,000.00 (रू0 चार लाख अस्सी हजार) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।	(ख) इस विनियम के खण्ड (2), खण्ड (3) और खण्ड (7) में उल्लिखित परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खण्ड (7) में उल्लिखित दर पर अतिरिक्त पेंशनः परन्तु किसी भी स्थिति में उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट पेंशन को मिलाकर खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन ₹ 1,12,500.00 (₹ एक लाख बारह हजार पांच सौ) प्रतिमास एवं ₹13,50,000.00 (₹तेरह लाख पचास हजार) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी; परन्तु अग्रेत्तर यह कि इस विनियमावली के जारी होने की तिथि के उपरान्त नियुक्त होने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों को पेंशन अनुमन्य नहीं होगी, अर्थात मूल विनियमावली, 2004 से भाग–तीन– पेंशन के विनियम 11 एवं उसके समस्त खण्डों को विलोपित समझा जायेगा।

विनियम 11 के उपविनियम (7) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) का प्रतिस्थापन

4. मूल विनियमावली के विनियम 11 के उपविनियम (7) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपविनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

	स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
	(क) अध्यक्ष की स्थिति में रू0 108000.00 (रू0 एक लाख आठ हजार) प्रतिवर्ष, यदि उसने छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;	(क) अध्यक्ष की स्थिति में ₹ 2,77,560.00 (₹ दो लाख सत्हतर हजार पॉच सौ साठ) प्रतिवर्ष, यदि उसने छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(ख) अध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य सदस्य की स्थिति में रू0 84,000.00(रू0 चौरासी हजार) प्रतिवर्ष यदि उसने छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(ख) अध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य सदस्य की स्थिति में ₹ 2,15,880.00 (₹ दो लाख पंद्रह हजार आठ सौ अस्सी) प्रतिवर्ष यदि उसने छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

परन्तु यह कि इस विनियमावली के जारी होने की तिथि के उपरान्त नियुक्त होने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों को पेंशन अनुमन्य नहीं होगी, अर्थात मूल विनियमावली, 2004 से भाग–तीन–पेंशन के विनियम 11 एवं उसके समस्त खण्डों को विलोपित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।